रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 7, 1975/श्रावण 16, 1897
No. 158] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 1975/SRAVANA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th August 1975

SUBJECT.—*Import of professional components by Professional Equipment Manufacturers*

No. 83-ITC(PN)/75.—Attention is invited to para 83, Section I of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) for the period April, 1975—March 1976, in terms of which actual users engaged in 'select' industries are permitted to import against their import licences of raw materials and components, any item even though the item, in question, is not permissible for import in terms of import policy, upto 5 per cent of the face value of the licence issued for the period 1975-76, subject to specified conditions mentioned in sub-paras (i) to (xi) of the aforesaid para 83

2. In the case of professional components for the manufacture of professional equipment, the matter has been examined and it has been decided to allow the import of professional components required for the manufacture of professional equipment, even though the item, in question, may not be permissible for import in terms of the import policy, upto 10 per cent of the face value of the licence for raw materials and components, subject to the condition that no single item will be imported under the facility for a value exceeding Rs. 1 lakh. The other conditions referred to in sub-paras (i) to (xi) of para 83 of Section I of the Red Book (Vol I) for 1975-76 will continue to be applicable for import of non-permissible items of professional components to the extent of 10 per cent or Rs 1 lakh as already provided

R. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1975

विषय.—व्यावसायिक उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा व्यावसायिक संघटकों का आयात ।

सं० 83-आई० टी० सी० (पी० एम०)/75.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि की आयात व्यापार (नियंत्रण) नीति रेड बुक (वा० 1) के खंड—1, पैरा 83 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार 'चुनिन्दा' उद्योगों में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल और संघटकों के लिए अपने आयात लाइसेंसों के आधार पर 1975-76 की अवधि के लिए जारी किए गए लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक किसी भी मद का पूर्वोक्त पैरा 83 के उप-पैरा (1) से (11) तक में उल्लिखित निर्धारित शर्तों के अधीन आयात करने की अनुमति है चाहे वह मद आयात नीति के अनुसार आयात के लिए अनुमेय न भी हो ।

2. व्यावसायिक उपस्कर के विनिर्माता के लिए व्यावसायिक संघटकों के मामले की पुनरीक्षा की गई है और व्यावसायिक उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित व्यावसायिक संघटकों के आयात की अनुमति कच्चे माल और संघटकों के लिए जारी किए गए लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक देने का निश्चय इस शर्त के अधीन किया गया है कि किसी भी एक मद का आयात इस सुविधा के अन्तर्गत 1 लाख रुपये से अधिक का नहीं होगा चाहे विषयाधीन मद आयात नीति के अनुसार आयात के लिए अनुमेय न भी हो । 1975—76 के लिए रेड बुक (वा० 1) के खंड—1 के पैरा 83 के उप-पैरा (1) से (11) तक में उल्लिखित अन्य शर्तें व्यावसायिक संघटकों की गैर-अनुमेय मदों के आयात के लिए 10 प्रतिशत या एक लाख रुपये की सीमा तक लागू रहेंगी, जैसी कि पहले ही व्यवस्था की गई है ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975